



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-10.09.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैंट में लड़ाई-झगड़ा करने के मामले से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड ।

थाना कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-131/2002 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सुक्खू उर्फ वसीम पुत्र बाबू निवासी 510/132A-4A हुकुलगंज थाना कैंट जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैंट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-09.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त सुक्खू उर्फ वसीम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।